न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022/62 दर्ज दिनांक : 21.09.2022

1. ठाकरूराम पुत्र स्व. हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू तहसील एवं जिला चूरू (राज.)
2. जुंगा देवी पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
3. अमरचन्द पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
4. शिशुपाल पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
5. रामचन्द्र पुत्र सागरराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री संजय सिहाग
प्रतिवादी पैरोकार राज।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

1. प्रार्थी का नाम ठाकरूराम पुत्र स्व. हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील व जिला चूरू है इसी नाम से ही प्रार्थी को जाना पहचाना व पुकारा जाता है व इसी नाम से ही प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेजात है प्रार्थी के आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ठाकरूराम व पिता का नाम हेमाराम है जो कि सही वा सत्य है व इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति स्व. हेमाराम का वारिस नहीं है।
2. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि रोही छाजूसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके खसरा संख्या 143, 17, 32 कुल तादादी 9.2067 हैक्ट. है जिसका खाता संख्या नया 87 व पुराना 87 है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम ठाकरूराम के स्थान पर लिपिकीय भूलवंश/सहवंश से ठाकरिया अंकित कर दिया गया जो कि गलत है व प्रार्थी के पिता का नाम हेमाराम के स्थान पर हेमा कर दिया गया प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में अपना नाम ठाकरिया के स्थान पर ठाकरूराम करवाना चाहता है तथा अपने पिता का नाम हेमा के स्थान पर हेमाराम करवाना चाहता है जो कि प्रार्थी का सही वास्तविक व दस्तावेजी नाम है।
3. प्रार्थी ग्रामीण परवेश का अनपढ़ व अंगुठाछाप व्यक्ति है प्रार्थी के पिता स्व. हेमाराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त उक्त कृषि भूमि का [illegible] प्रार्थी के पिता के वारिसान के नाम दर्ज हुआ जिसमें लिपिकीय भूलवंश/सहवंश से प्रार्थी का [illegible] नाम नाम ठाकरिया अंकित कर दिया गया जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी [illegible] अपनी उक्त कृषि भूमि पर के.सी..सी. बनवाने के लिए जमाबंदी की नकल [illegible] हुआ कि उसका जमाबंदी में नाम ठाकरिया कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया है जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी व वास्तविक नाम ठाकरूराम है इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित हो रहा है तथा के.सी.सी. आदि बनवाने में महरूम हो रहा है इसलिए राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का अंकित नाम ठाकरिया दुरूस्त कर राजस्व अभिलेखों में से विलोपित कर ठाकरिया के बजाय प्रार्थी का सही नाम ठाकरूराम अंकित किये जाने से व प्रार्थी के पिता का नाम हेमा के स्थान हेमाराम अंकित किये जाने से व प्रार्थी के पिता का नाम हेमा के स्थान पर हेमाराम अंकित किये जाने से किसी अन्य के कोई हक प्रभावित नहीं होंगे। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के अंकित नाम ठाकरिया को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक अभिलेखित नाम ठाकरूराम व पिता का नाम हेमा के स्थान पर हेमाराम अंकित किये जाने से राजस्व को किसी भांति की कोई राजस्व हानी या अन्य प्रकार से कोई नुकसान या क्षति नहीं होगी बल्कि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम ठाकरिया अंकित रहने व प्रार्थी के पिता का नाम हेमा अंकित रहने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयां होने के साथ ही भारी असुविधा हो रही है इसलिए प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है।

4. प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें हासिल करने पर उक्त त्रुटी बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व अभिलेखों में अंकित गलत नाम को दुरूस्त कर प्रार्थी के वास्तविक नाम ठाकरूराम पुत्र हेमाराम दर्ज करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने दिनांक 05.09.2022 को इनकार कर देने से अदालतवाला के समक्ष आवेदन हाजा प्रस्तु किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. आवेदन हाजा में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटी की दुरूस्ती का अनुतोष चाहने से एवं समस्त राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 के पावर पजेसन में होने से एवं आवेदन मंजूर होने की सूरत में दुरूस्ती अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हीकी जाने से अप्रार्थी आवश्यक पक्षकार आवेदन हाजा होने से अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाकर आवेदन हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है परन्तु अप्रार्थी के हितों के प्रतिकूल कोई अनुतोष नहीं चाहने से बिना 80 जा.दी. का नोटिस दिये ही आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है व खातेदार तीजा ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में गिफ्ट कर दिये जाने से उसे पक्षकार अप्रार्थी नहीं बनाया गया है।
6. उक्त कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने स आवेदन हाजा का अदालतवाला को पूर्ण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार हासिल है।
7. आवेदन हाजा वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि दिनांक 05.09.2022 से हर प्रकार से अन्दर मियाद मामूलन न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः आवेदन हाजा मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का आवेदन मंजूर फरमाया जाकर रोही मौजा छाजूसर तहसील चूरू में स्थित प्रार्थी की खातेदार कृषि भूमि खसरा संख्या 143, 17, 32 कुल तादादी 9.2067 हैक्ट. में 1/2 हिस्सा के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के अंकित नाम ठाकरिया पुत्र हेमा को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम ठाकरूराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने को अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण 2 ता 5 की पर तामिल होने पश्चात् ही उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की ब[illegible] प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही मौजा छाजूसर तहसील चूरू में स्थित प्रार्थी की खाते[illegible]मि खसरा संख्या 143, 17, 32 कुल तादादी 9.2067 हैक्ट. में 1/2 हिस्सा [illegible] अंकित नाम ठाकरिया पुत्र हेमा को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का [illegible] ठाकरूराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

छाजूसर अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे ताकि प्रार्थी को के.सी.सी. व अन्य राजकार्य करवाने में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम ठाकरू राम पुत्र हेमा राम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में नाम ठाकरिया पुत्र हेमा को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर ठाकरिया पुत्र हेमा के बजाय दस्तावेजों के अनुसार ठाकरू राम पुत्र हेमा राम शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 143, 17, 32 कुल तादादी 9.2067 हैक्ट. वाके रोही छाजूसर पटवार मण्डल मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.) हिस्सा 1/2 में अंकित वादी का नाम ठाकरिया पुत्र हेमा खातेदार के स्थान पर ठाकरू राम पुत्र हेमा राम खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022/62 दर्ज दिनांक : 21.09.2022

1. ठाकरूराम पुत्र स्व. हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू तहसील एवं जिला चूरू (राज.)
2. जुंगा देवी पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
3. अमरचन्द पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
4. शिशुपाल पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)
5. रामचन्द्र पुत्र सागरराम जाति मेघवाल निवासी छाजूसर तहसील वा जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री संजय सिहाग
प्रतिवादी पैरोकार राज।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 143, 17, 32 कुल तादादी 9.2067 हैक्ट. वाके रोही छाजूसर पटवार मण्डल मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.) हिस्सा 1/2 वादी का नाम ठाकरिया पुत्र हेमा खातेदार के स्थान पर ठाकरू राम पुत्र हेमा राम अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह दिसम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)